



राजस्थान सरकार

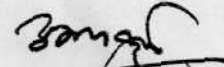
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 302005

क्रमांक: एफ 5(472)आ.उ./लेखा-1 अनु./रा.लो.उपा./2013-14

दिनांक 28/4/2015

:: आदेश ::

वित्त विभाग (सामान्य वित्त एवं लेखा नियम अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक :
एफ 1 (8) वित्त/साविलेनि/2011 पार्ट-11 दिनांक 04.02.2013 के क्रम में राजस्थान लोक
उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय-111 तथा राज.लोक उपापन में पारदर्शिता
नियम 2013 के अध्याय VII के तहत श्री डी.के.नागौरी, प्रथम अपील अधिकारी की
सेवानिवृत्ति के कारण श्री डी.सी.गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग को प्रथम अपील
अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


आयुक्त, उद्योग

क्रमांक: एफ 5(472)आ.उ./लेखा-1 अनु./रा.लो.उपा./2013-14

दिनांक 28/4/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राज., जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज., जयपुर।
3. शासन सचिव, (खादी एवं लघु उद्योग) उद्योग विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (सा.वि. एवं लेखा नि.अनु.), राज., जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग, राज., जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (प्रशासन), मुख्यालय।
7. श्री डी.सी.गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग, मुख्यालय
8. संयुक्त निदेशक, (कम्प्यूटर) उद्योग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेब साईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करावें।


अतिरिक्त निदेशक
कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग
राजस्थान, जयपुर